

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

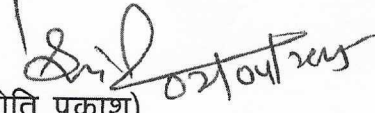
संचिका संख्या :-6/अ0-03-18/2020

पटना, दिनांक—

श्रीमती स्मिता शर्मा, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), मोतिहारी अंचल, मोतिहारी सम्प्रति राज्य-कर सहायक आयुक्त, रक्सौल अंचल, रक्सौल को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-15.06.2022 से 16.07.2022 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती शर्मा के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (46-32=14) (चौदह) दिन का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(ज्योति प्रकाश)

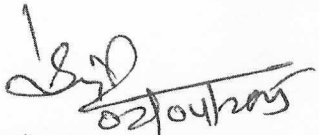
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापक:-6/अ0-03-18/2020

1603

पटना, दिनांक-03/04/2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना -800015/कोशागार पदाधिकारी, जिला कोशागार, पूर्वी चंपारण/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), मोतिहारी अंचल, मोतिहारी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), रक्सौल अंचल, रक्सौल/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती स्मिता शर्मा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), रक्सौल अंचल, रक्सौल को सूचनार्थ प्रेशित।



सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।